2/4/25 पत्रा. पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील को न्यायालय उपस्थित होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई तदुपरांत उपस्थित नहीं हुए। चूंकि दावा वादी अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 18:05:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner